

न्यायालय में तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 372/18 तारीख रज 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का 603 बनाम  
 श्री सुजीत पुत्र शुभासिंह जाति जाट निवासी डीशवाड़ा तहसील  
मेधा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 13/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम मेधा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री सुजीत ने ग्राम डीशवाड़ा को भूमि ख.न. 560 रकबा 0.02 किस्म गोमूठवाड़ा फसल रबी / खरीफ संवत 20 74 यत्न में कास्त कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतिक्रमी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जा उचित है

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 560 रकबा 0.02 किस्म गोमूठवाड़ा के ग्राम डीशवाड़ा से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.64 ला 50 गुणा 32 शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल यत्न को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को नष्ट / नौलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर ग/घ के पृष्ठ नं. 120 पर  
 वर्ष 2017-18 की राशि तावकी नं. 32  
 की जमा कायमी की रकम  
 दिनांक 15/3/18 तहसील मेधा लेखाकार  
 तहसील-महवा

मेधा  
 तहसीलदार महवा  
 मेधा तहसीलदार  
 महवा (दौसा)